न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 93/2007 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. इन्दरसिंह पुत्र श्री दरबारी सिंह कौम लबाना सिख साकिन पालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0

..... प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री कपिल शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–07.07.2017

2. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 484 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा जिसका हाल ख0 नं0 1132 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा पैमूद हुआ है जो वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम में स्थित है । साबिक ख0 नं0 484 मिन वादी के पिता दरबारीसिंह पुत्र कर्मसिंह को कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटन किया गया था । वक्त आवंटन खतौनी तैयार की गई जिस साबिक खसरा नम्बर में वादी के पिता का नाम दर्ज है । बाद आवंटन वादी के पिता ने विवादित आराजी ख0 नं0 484 को दीगर नम्बरों के साथ कीमत कर्जा जमा कराकर सनद सं0 620 प्राप्त कर लिया । तदुपरान्त विवादित आराजी का इन्तकाल सनद के आधार पर वादी के पिता के नाम दर्ज व स्वीकार किया । दौराने सैटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से साबिक ख0 नं0 484 के नये नम्बर बनाते वक्त सम्वत् 2029 में मिलान क्षेत्रफल बनाया व राजस्व रेकार्ड में वादी

Scanned by CamScanner

का कब्जा है है जिसके नये नम्बर 1132 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा में कतई तौर पर शामिल कर दिया जबकि साबिक ख0 नं0 484 वादी के आज भी कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में है । उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान ऋण लेने पर हुआ । इसलिए वादी को साबिक ख0 नं0 484 जिसका हाल ख0 नं0 1132 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा में से 4 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम पालपुर का काबिज काश्तकार घोषित किया जावें व बन्दोबस्त की गलती से सम्वत् 2029 में गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जावें । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 21.07.2007 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 21.07.2007 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

5. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी/अपीलांट के पिता दरबारी सिंह को कस्टोडियन विभाग से आवंटन हुई थी । बाद आवंटन वादी के पिता ने आराजी ख0 नं0 484 रकबा 4 बीधा 18 बिस्वा का दीगर नम्बरों के साथ कीमत कर्जा जमा कराकर सनद पट्टा प्राप्त किया तथा उसी के आधार पर इन्तकाल वादी के पिता के नाम दर्ज व मंजूर हुआ । वादी/अपीलांट अपने पिता के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है । वादी/अपीलांट का पिता फौत हो चुका है । दौराने सैटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की गलती से साबिक ख0 नं0 484 के नये नम्बर बनाते समय नये नम्बर 1132 में गलत तौर पर शामिल कर दिया जबकि साबिक ख0 नं0 484 वादी के आज भी कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में हैं । अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकार अभिवचनों के आधार पर विवाधक कायम करने चाहिए थे । अधीनस्थ न्यायालय को विवाधकों का अलग–अलग विवेचन करते हुए निर्णय करना चाहिए था । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष गलत निकाला है कि हाल आराजी ख0 नं0 1132 सरकारी जमीन के तहत निवास स्थान तथा बस्तिया अंकित हैं जिससे किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है और ऐसी भूमि धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिया जाना कानूनी रूप से वर्जित है जबकि वादी/अपीलांट काबिज रेकार्ड से बखूबी खातेदार साबित था । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने सह काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं मानकर कानूनी गलती की है । कानूनन सह काश्तकार को पक्षकार मुकदमा नहीं भी बनाया जाता है तो वाद कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने शुद्धहस्त होकर दावा दायर नहीं करने बाबत भी गलत निष्कर्ष निकाला है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. प्रतिउत्तर में विद्धान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया हाल ख0 नं0 1132 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2056 गै0मु0 आबादी दर्ज रेकार्ड है । आबादी ग्राम पंचायत में निहित होने के कारण वादी ने ग्राम पंचायत को ना तो

Scanned by CamScanner

तहत न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में पक्षकार बनाया जबकि वह आवश्यक पक्षकार था । दावे में वर्णित आराजी कस्टोडियन भूमि है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 एक्जी.1 में हाल ख0 नं0 1132 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा वाके पालपुर साबिक ख0 नं0 478, 479 मिन, 168 मिन, 484 मिन, 480 मिन, 481, 482, 483, 525 मिन की भूमि से कायम होना जाहिर है । इसके अलावा साबिक ख0 नं0 484 का रकबा हाल ख0 नं0 1025, 1026, 1031, 1032 शामिल पाया जाता है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056 एक्जी.2 में ख0 नं0 1138/1369 रकबा 0.13 है0 पर इन्दरसिंह वगैर व 1137/1369 की ग्वार व गैहूं की काश्त दर्ज पायी गयी है । जमाबन्दी सम्वत् 2056 एक्जी.3 में ख0 नं0 1132 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा वाके पालपुर के बारे में काश्तकार के कॉलम में सरकारी जमीन, निवास स्थान एवं बस्तिया तथा कालम नं0 7 में गै0मु0 आबादी दर्ज है तथा एक्जी.3 में ही ख0 नं0 1025 व 1026 की किस्त बारानी दोयम दर्ज रेकार्ड है । जमाबन्दी सम्वत् 2056 एक्जी.4 में ख0 नं0 हाल 1031 के छज्जू पि. मनीराम गोपीचन्द ग्यारसाराम प्रकाशसिंह पि0 रिशाल खातेदार दर्ज हैं तथा हाल ख0 नं0 1032 के मेहरचन्द पुत्र हरिसिंह 1/2 हिस्सा बिला रहन सुल्तान पुत्र हरिसिंह 1/2 हि0 गूजर सा.देह खातेदार राहिन अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी मुर्तहन बिला कब्जा खातेदार दर्ज है । दस्तावेज सनद आवंटन एक्जी.5 में दरबारीसिंह जाति लबाना सिख निवासी पालपुर को आराजी ख0 नं0 294, मिन, 304 मिन, 493 मिन, 310, 316, 507 मिन, 508, 510 मिन, 523, 484, 176 मिन कुल किता 11 कुल रकबा 24 बीधा 12 बिस्वा भूमि आवंटन होना जाहिर है । जमाबन्दी एक्जी.6 में उक्त सनद प्रमाण में अंकित नम्बरों की खातेदारी दरबारीसिंह वल्द करमसिंह के नाम दर्ज पायी जाती है । अन्य दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 एक्जी.1 में साबिक खसरा नम्बरान से कायम हाल खसरा नम्बरान की स्थिति दर्ज पायी जाना जाहिर है । हाल आराजी ख0 नं0 1132 सरकारी जमीन के तहत निवास स्थान तथा बस्तियां अंकित है जिसकी किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है और ऐसी भूमि पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारी दिया जाना कानूनन वर्जित है । विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 आबादी है और ऐसी भूमि की ट्रस्टी ग्राम पंचायत होती है जिसको विधि अनुसार पंचायत राज एक्ट की धारा 109 का नोटिस दिया जाकर वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था लेकिन वादी/अपीलांट ने ऐसा नहीं किया । दौराने सैटलमेन्ट पर्चा लगान जारी कर सैटलमेन्ट विभाग द्वारा आपत्ति / ऐतराज सुनने का कार्य करना चाहिए था जबकि वादी/अपीलांट द्वारा पर्चा लगान एवं पर्चा खसरा प्रमाणांक ना तो तहत न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में पेश किया तथा न ही भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई जिससे ऐसा जाहिर होता है कि सैटलमेन्ट विभाग के इन्द्राजात मौका कब्जा व रेकार्ड के मुताबिक सही हैं । इसके अलावा वादी/अपीलांट ने भू–प्रबन्ध विभाग की हाल की जमाबन्दी भी पेश नहीं की जिससे यह जानकारी नहीं हो पाती है कि सैटलमेन्ट विभाग ने इनके खाते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

में कुल कितनी भूमि दर्ज की है । इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं । परिणामतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2007 यथावत रखी जाती है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 07.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner